रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112020-223183
CG-DL-E-19112020-223183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3636] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942
No. 3636] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2020

का.आ. 4137 (अ).—जबकि, सेवाओं या लाभ या सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को उनके सुविधाजनक और सहज तरीके से सीधे उनके अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को पूरा करता है;

और जबकि; भारत सरकार में औषध विभाग केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना और राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) योजना का संचालन कर रहा है। पीएमबीजेपी योजना उन मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिन्होंने देश के विभिन्न जिलों में जनऔषधि केंद्रों की स्थापना की और जनता को जेनेरिक दवाईयां बेचने का काम कर रहे हैं। प्रोत्साहन उनके बैंक खातों में सीधे लाभ के रूप में जमा किए जाते हैं। इसी प्रकार, नाईपर योजना के अंतर्गत, मोहाली, अहमदाबाद, रायबरेली, गुवाहाटी, हैदराबाद, हाजीपुर और कोलकाता में सात राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान सभी स्नातकोत्तर छात्रों को वजीफा तथा सभी पीएचडी स्कॉलर्स को अधिछात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, जो क्रमशः पीजी कोर्स पीएचडी कर रहे हैं। वजीफा और अधिछात्रवृत्ति सीधे लाभ हस्तांतरण के रूप में मासिक आधार पर छात्रों/ स्कॉलर्स के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं।

और जबकि, पीएमबीजेके मालिकों को दिए गए प्रोत्साहन और नाईपर के छात्रों/ स्कॉलर्स को दिए गए वजीफा/अधिछात्रवृत्ति में भारत के समेकित निधि से आवर्ती व्यय शामिल है।

अब, इसलिए, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) (बाद में उक्त अधिनियम के हवाले से), द्वारा यथा संशोधित आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में औषध विभाग में केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(1) पीएमबीजेपी केंद्र के मालिक और नाईपर में स्नातकोत्तर छात्र और पीएचडी स्कॉलर्स जिन्होंने पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने और पीएचडी करने के लिए सात नाईपरों में प्रवेश लिया है, उन्हें आधार नंबर या आधार प्रमाणीकरण के आधिपत्य के प्रमाण साथ में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(2) पीएमबीजेपी केंद्र के मालिक और स्नातकोत्तर छात्र और पीएचडी स्कॉलर्स जिन्होंने पीजी कोर्स शुरू करने और पीएचडी करने के लिए सात नाईपर में प्रवेश लिया है, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने आधार में नामांकन नहीं लिया है, आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा बशर्ते कि वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने के हकदार हों और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन केंद्र (आधार पंजीकरण के लिए यूआईडीएआई websitewww.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन स्थानीय प्राधिकरण आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार बन गए हैं और यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हैं। पीएमबीजेपी केंद्र के मालिक और स्नातकोत्तर छात्र और पीएचडी स्कॉलर्स जिन्होंने नाईपर जेईई की परीक्षा पास करने के बाद सात नाईपरों में प्रवेश लिया है और आधार नंबर नहीं हैं या अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया गया है, ऐसे आधार नामांकन के लिए विशेष आधार नामांकन कैम्पों या यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के साथ आसपास के आधार नामांकन केंद्रों में से किसी में जा सकते हैं;

बशर्ते कि जब तक पीएमबीजेपी केंद्र मालिकों और नाईपरों में स्नातकोत्तर छात्रों और पीएचडी स्कॉलर्स को आधार सौंपा जाता है, तब तक डीबीटी लाभ जैसे पीएमबीजेपी केंद्र मालिकों को प्रोत्साहन और पात्र नाईपर छात्रों को वजीफा/अधिछात्रवृत्ति निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसका आधार नामांकन आईडी स्लिप; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की एक प्रति, और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात् -;

(i) बैंक फोटो पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) ड्राइविंग लाइसेंस; या (vi) पैन कार्ड; या (vii) राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या (viii) आधिकारिक शीर्षनामा (लेटरहैड) पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ पहचान प्रमाण पत्र; या (ix) राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

2. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2/1/2020-प्रशा. अनुभाग]

एच.के. हाजोंग, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2020

S.O. 4137(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas; the Department of Pharmaceuticals in Government of India is administering the centrally sponsored schemes viz. Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) Scheme and National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER) Scheme. The PMBJP Scheme provides incentives to the owners who have set up and are running Jan Aushadhi Kendras in various districts of the Country to sell Generic Medicines to the public. The incentives are deposited as direct benefit to their Bank Accounts. Similarly, under the NIPER Scheme, seven National Institutes of Pharmaceutical Education and Research have been established at Mohali, Ahmedabad, Raibareli, Guwahati, Hyderabad, Hazipur and Kolkata. These institutes provide Stipend to all Postgraduate students and Fellowship to all Ph.D Scholars who are undertaking and pursuing PG courses and Ph.D respectively. The stipend and fellowship are deposited in the bank accounts of the students/scholars on monthly basis as direct benefit transfer.

And whereas, the incentives paid to the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras(PMBJK) owners and the stipend/fellowship paid to NIPER students/scholars involve recurring expenditure from the Consolidated Fund of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) as amended by the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (14 of 2019) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in Department of Pharmaceuticals hereby notifies the following, namely:-

(1) The PMBJ Kendra owners and the postgraduate students and Ph.d Scholars in NIPERs who have taken admission in the seven NIPERs for undertaking PG courses and pursuing Ph.D are required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) The PMBJ Kendra owners and the postgraduate students and Ph.d Scholars who have taken admission in the seven NIPERs for undertaking PG courses and pursuing Ph.D, who do not possess the Aadhaar number or have not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment provided they are entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment Centre (List available at UIDAI website: www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 the local authorities in the State Governments or Union Territory Administrations have become UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and have convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI. The PMBJ Kendra owners and the postgraduate students and Ph.d Scholars who have taken admission in the seven NIPERs after clearing the NIPER JEE examination and do not possess the Aadhaar number or have not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centers in the vicinity with existing registrars of UIDAI;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the PMBJ Kendra owners and the postgraduate students and Ph.d Scholars in NIPERs, DBT benefits such as incentive to the PMBJ Kendra owners and stipend/fellowship to eligible NIPERs students/scholars shall be given subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, and

(b) Any of the following documents, namely;--

(i) Bank photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (v) Passport; or (vi) Driving License; or (vii) PAN Card; or (x) Any other Photo Identity Card issued by State Government or Union territory Administration; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted officer on an official letter head; or (xii) any other document specified by the State Government or Union Territory Administration.

2. This notifications shall come into effect from the date of its publication.

[F. No.2/1/2020-Admn. Section]

H.K. HAJONG, Economic Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM